तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./4029/2004/जयपुर सुगल्या व अन्य बनाम श्रीमती नाथी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.9.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री हगामी लाल चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में स्थिति विवादित आराजी के 1/2 हिस्से भूमि के रिकार्डेड खातेदार गोपाल गोद पुत्र छोट्या व रूकमा बेवा छोट्या थी एवं शेष 1/2 हिस्से भूमि के खातेदार प्रार्थीगण थे। संयुक्त खातेदारान के मध्य दौराने बंदोबस्त भूमि का विभाजन किया गया । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, चौमू ने अपने आदेश दिनांक 25.4.92 द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी का विभाजन खातेदारान की सहमति अनुसार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश दिनांक 25.4.92 की पालना में नामांतरकरण संख्या 176 दिनांक 11.6.92 को संयुक्त खातेदारान के नाम स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अति0 कलेक्टर, चतुर्थ जयपुर के समक्ष प्रसतुत की। जिसे अति. जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 22.8.2000 द्वारा अपील को अस्वीकार कर दिया गया । अति0 जिला कलेक्टर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे संभागीय आयुक्त,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./4029/2004/जयपुर सुगल्या व अन्य बनाम श्रीमती नाथी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.7.04 से अपील स्वीकार करते हुये अति0 जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 22.8. 2000 व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 25. 4.92 अपास्त कर दिया गया। संभागीय आयुक्त, जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 14.7.04 व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि मु0 रूकमा व गोपाल क्रमशः बेवा व पुत्र अन्य संयुक्त खातेदारान के साथ प्रकरण में स्थित विवादित आराजी के संयुक्त खातेदार थे। संयुक्त खातेदारान के मध्य दौराने बंदोबस्त अधिनियम की धारा 53ए के तहत विभाजन हो गया। अप्रार्थीगण विवादित कृषि भूि के संयुक्त खातेदार नही थे इसलिए सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 25. 4.92 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का उनको अधिकार नहीं था। यदि अप्रार्थीगण छोटया द्वारा धारित भूमि में अपना अधिकार रखती थी तो छोटया के स्वर्गवास होने पर उसे सर्वप्रथम नामांतरकरण को चुनौती देनी चाहिए थी और उत्तरधिकारी के आधार पर अपना दर्ज करवाना चाहिए था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि संभागीय आयुक्त का यह मानना कि संयुक्त खातेदारान् के बीच में काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधान के अंतर्गत भूमि का विभाजन किया जा सकता है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./4029/2004/जयपुर सुगल्या व अन्य बनाम श्रीमती नाथी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को इस प्रकार बंटवारा करने का अधिकार नहीं है। जबकि काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)(1) के तहत तहसीलदार एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को भूमि के विभाजन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को बहाल करने का निवेदन किया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मृतक छोटया की जाइन्दा पुत्रियां है तथा मृतक छोटया की विधिक वारिसान है। विवादित आराजी का सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दौराने सेटलमेंट जो बंटवारा एवं नामांतरकरण स्वीकृत किया है वह सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर था एवं विधिसम्मत नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि प्रार्थी संख्या 1 सुगल्या भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने ऐसे व्यक्ति के नाम भी बंटवारा कर दिया जो कि भूमि का रिकार्डेड खातेदार ही नहीं था। मृतक गोपाल अनपढ व्यक्ति था जिसकी प्रार्थीगण ने साजिश करके अंगूठा निशानी करवा कर भूमि को हडपने का षडयंत्र किया है। भूमि के बंटवारे में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को सम्मिलित नहीं किया गया जबकि वे मृतक छोटया के विधिक वारिसान है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को बिना किसी सक्षम अधिकारिता के उक्त बंटवारे व नामांतरकरण को तस्दीक नहीं करना चाहिए था। उक्त आधार पर किया गया नामांतरकरण निरस्त करने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में निवेदन किया कि संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./4029/2004/जयपुर सुगल्या व अन्य बनाम श्रीमती नाथी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली, पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.7.04 में जिस पर्चा सेटलमेंट का विवरण दिया है उसमे वादग्रस्त भूमियां सुगल्या नाम के व्यक्ति के पक्ष में अंकित नहीं थी। इसके उपरांत भी सुगल्या ने इन भूमियों में खातेदारी अधिकार किस आधार पर प्राप्त किये है इसका कोई विधिसंगत आधार दस्तावेज व रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त भूमियों में सुगल्या विधिसम्मत रूप से रिकार्डेड खातेदार नहीं होने के कारण केवल धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम या राजीनामे के आधार पर बंटवारा कराने का उचित अधिकार नहीं रखता था। उक्त रिकार्ड आधारित स्थितियों के कारण सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का आदेश एक विधि विरूद्ध आदेश है जिसकी अपील हेतु कोई मियाद या समय सीमा की बाध्यता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः नाथी व संती छोटया की पुत्रियां है जिनका विवादित भूमियों में पुश्तैनी वारिस के रूप में अधिकार अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है। इसका भी परीक्षण किया जाना आवश्यक है। आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 के तहत कोई भी राजीनामा तभी बाध्यकारी हो सकता है जब वह पूर्णतया विधिसंगत रूप से किया जावे। अतः संभागीय आयुक्त, जयुपर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.7.04 पूर्णतया रिकार्ड का अवलोकन कर और विधिक स्थिति का परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत ही पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./4029/2004/जयपुर सुगल्या व अन्य बनाम श्रीमती नाथी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयुपर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.7.2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	